



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6890

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16591 वर्ष 2025

हसीनआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : ए.सी. श्रीवास्तव, पवन किशोर विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, जे.बी. सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री ए.सी. श्रीवास्तव, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री जे.बी. सिंह, पूवक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री डी.के. सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 352 वर्ष 2024, धारा 137(2), 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता तथा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना सरधना, जिला मेरठ में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. अभियोजन कथानक के अनुसार, सूचक द्वारा यह कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 21.7.2024 को प्रातः लगभग 10.00 बजे, जब उसकी 16 वर्षीया पुत्री सुभारती अस्पताल गई थी, तब आवेदक द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से पंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग तीन दिन की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व, शव बरामद होने के पश्चात मृतका का पंचनामा कार्यवाही सम्पन्न की गई। उक्त कार्यवाही दिनांक 23.7.2024 को सायंकाल लगभग 7.30 बजे पूर्ण हुई और पंचनामा आख्या में शव एक लगभग 30 वर्षीया महिला का, जिसकी ऊँचाई लगभग 5'2" है, बताया गया है। उक्त शव में कीड़े पड़े हुए थे। त्वचा भी उखड़ रही थी और अतः पंचनामा कार्यवाही करने वाले अन्वेषण अधिकारी की राय के अनुसार मृत्यु का समय कम से कम एक सप्ताह पूर्व का था। दिनांक 23.7.2024 को बरामद उक्त शव का प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित कथानक से मेल नहीं खाता। तत्पश्चात् सी.सी.टी.वी. फुटेज प्राप्त की गई जिसमें आवेदक दिनांक 21.7.2024 को दोपहर लगभग 12.00 बजे मृतका के साथ जाते हुए दिख रहा है, अतः संभव है कि सूचक की पुत्री कहीं और चली गई हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से एक दिन पूर्व तैयार की गई उक्त पंचनामा आख्या में आवेदक के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि विचारण घोंघे की गति से चल रहा है क्योंकि आज तक केवल दो साक्षियों की परीक्षा हुई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 25.7.2024 से कारागार में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सुझाव मिले कि मृतका के माता-पिता ने मृतका की गलत पहचान क्यों की होगी, जिन्होंने शव को लगभग 16 वर्षीया लड़की का घोषित किया है। इस न्यायालय ने विचारण की स्थिति आख्या मँगाई थी। विचारण न्यायालय से दिनांक 2.12.2025 को प्राप्त स्थिति आख्या के अनुसार दो साक्षियों की परीक्षा की जा चुकी है। सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि दोनों साक्षियों ने आवेदक के विरुद्ध बयान दिया है।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, शव की बरामदगी में उक्त सारभूत विसंगति को तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पंचनामा आख्या के अनुसार आवेदक के विरुद्ध कोई संकेत नहीं था, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथम दृष्टया मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक हसीन, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पटेल) 12 जनवरी, 2026 शालिनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"